न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–103 / 2017 (2017 / 00199) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–गणेशलाल आत्मज सोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर हाल निवास तासोल तहसील व जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1–सोहनलाल आत्मज माधुलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रेखादेवी पत्नि रतनलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. रितेश सुराणा – अधिवक्ता प्रार्थी
2. हरिश टेलर – अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः–01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 196 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 210 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 196 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 210 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 240 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 266 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 271 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 290 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 602 / 233 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 604 / 237 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 606 / 288 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या कुल किता 12 कुल रकबा 2.22 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 125 पर स्थित है। राजस्व ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 2703 / 2567 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2705 / 2569 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 2708 / 2591 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 380 पर स्थित है जो विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 472 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 473 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 475 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 भूमि राजस्व खाता संख्या 127 पर स्थित है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या [illegible] के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित सभी आराजियात माधुलाल जो विपक्षी संख्या 1 के पिता [illegible] के दादा है से विरासत में विपक्षी संख्या 1 को मिली है, जिनमें प्रार्थी [illegible] अधिकार निहित है क्योंकि उक्त भूमियां मौरूषी मुश्तरफा खानदान की होकर प्रार्थी [illegible] संख्या की सहदायकी होकर उनमें विपक्षी संख्या 1 के साथ साथ प्रार्थी का उसमें [illegible] हक अधिकार व हित निहित है। विपक्षी संख्या 1 सोहनलाल का विवाह प्रार्थी की माता नारायणीदेवी के साथ आज से करीब 55 वर्ष पूर्व हुआ, उसके कुछ वर्षो बाद विपक्षी संख्या 1 अन्य महिला गंगाबाई को अपने साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:14 IST
Reason: SelfAttested

अवैध केप्ट के रूप मे रख लिया और प्रार्थी की माता को हैरान व परेशान कर उसे अलग कर दिया इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के पिता होने का फर्ज भी अदा नही किया गया है। उक्त वादवर्णित आराजियात प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 2 के उपपैरा संख्या अ में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा व उप पैरा संख्या ब व स में प्रार्थी का 1/2, 1/2 हिस्सा जन्म से निहित है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को अपने जायज हक से महरूम करने की गरज से प्रार्थी के हक व हिस्से को उसके नाम नही करवाया व उप पैरा संख्या ब व स में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है को अवैध तरीके से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी तौर पर बिना प्रार्थी की जानकारी के गिप्ट कर दी है जबकि भूमियां मौरूषी मुश्तरका खानदान की पुश्तैनी होने से विपक्षी संख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक भूमियां गिप्ट करने कोई कानुनी हक व अधिकार प्राप्त नही है जिससे अवैध तरीके से विपक्षी संख्या 2 को गिप्ट दी हुई प्रार्थी के हिस्से तक शुन्य अवैध निष्प्रभावी है, जिनके विपक्षी संख्या 2 को कोई हक अधिकार उनमें प्राप्त नही होते है। प्रार्थी ने कई मर्तबा विपक्षी संख्या को अपना हिस्सा अपने नाम करवाने बाबत् लकिन हरबार टालमबाजी का जवाब देते चले आ रहे है। अन्तिम बार दिनांक 20.03.2017 को कहा तो विपक्षी संख्या ने कहा कि मेने कुछ भूमियां तो दान दे दी है शेष बची भूमियां भी दुसरो को दान दे दुंगा तुम्है नही दुंगा जिससे प्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजियात में निहित अपने हिस्से की घोषणा करवा उनमें अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी होने से खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 वाद वर्णित भूमियां अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर आशिंक भूमियां तो विपक्षी संख्या 2 को गिप्ट कर चुका है व शेष भूमियां खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। वाद वर्णित भूमियां मौरूषी मुश्तरका एवं पुश्तैनी होने से प्रार्थी का उनमें जन्म से ही अधिकार व हिस्सा निहित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है और यदि प्रार्थी का हिस्सा भी विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर देगें तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के उप पैरा संख्या अ,ब,स में वर्णित भूमियों को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे, न खुर्द बुर्द करे तथा न ही उनमें अवैध रूप से खनन की भूमियों को वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन ही करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 10.10.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 का जवाब व विपक्षी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:14 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक पिता पुत्र है तथा माधुलाल जी के वंशज होकर ब्राहम्ण जाति से होकर हिन्दु विधि से शरशित होना [illegible] द्वारा उक्त सजरा गलत प्रस्तुत किया है। लच्छीराम जी उर्फ लक्ष्मण जी व फिर माधुलाल जी का सजरा सही रूप से इस प्रकार हो कर अलग से जवाब के साथ पेश है। उक्त वर्णित भूमिया पुश्तेनी नही है व स्वर्गीय माधुलाल जी से सोहनलाल जो को विरासत से प्राप्त नही हुई तथा बिन्दु ब मे अंकित भूमियां

विपक्षी संख्या दो के नाम स्वयं दर्ज होना प्रार्थी अंकित किया है व विपक्षी संख्या दो की स्वअर्जित भूमियां है तथा बिन्दु स में अकिंत भूमियां भी विपक्षी संख्या दो के नाम दर्ज होकर उसकी स्वर्जित भूमियां है। उक्त वर्णित आराजियात विपक्षी संख्या 1 पिता व दादा से विरासत प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी का उक्त वर्णित भूमियों में जन्म से कोई हक अधिकार नही है व उक्त भूमिया मौरूषी नही है। प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 सहदायिकी नही रहा क्योंकि वह शुरू से की ग्राम तासोल में रह रहा है। विपक्षी संख्या एक का विवाह नारायणी देवी के साथ आज से करीब 55 वर्ष पूर्व दुआ था किन्तु वह बिना बात रोजाना लड़ाई झगड़ा करती विपक्षी संख्या 1 को उसके परिवार को परेशान करती व काम काज भी नही करती व बिना कीसी युति युक्त कारण के विपक्षी संख्या 1 को त्याग कर ग्राम तासौल मे चली गई व वही रहने लग गई फिर विपक्षी संख्या 1 ने गंगा बाई से विधिवत विवाह किया विपक्षी संख्या एक ने गंगा माई को केप्ट के रूप मे नही रखा व प्रार्थी की माता को हैरान व परेशान कर उसे अपने से अलग नहीं किया, वो स्वयं चली गई। प्रार्थी कभी भी पुर्ववत विपक्षी एक के पास नही रहा व विपक्षी संख्या एक प्रार्थी को जानता तक भी नही है। विपक्षी संख्या एक के नुत्फे से उसकी पत्नि गंगाबाई के तीन पुत्र रतनलाल, मदनलाल धर्मेश व छह पुत्रियां – लक्ष्मी, लीला, मीरा, केलाशी, शान्ता, प्रेम आदि को जन्म दिया है। प्रार्थी ने जान बुझ कर इनको पक्षकार नही बनाया। प्रार्थी को उसके हक व हिस्से से महरूम करने की गरज से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में गिप्ट डीड नही करवाई बल्कि सेवा चाकरी से खुश होकर यह गिप्ट डीड करवाई जो पूर्ण रूप से प्रभावी है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 1 की पुत्रवधु है जो विपक्षी संख्या एक की निरन्तर व निबार्ध रूप से सेवा चाकरी, कपड़े लते, दवाईया, भरण पोषण आदि खर्चे व दैनिक खर्चा वहन कर रही है जिससे प्रसन्न होकर ग्राम खाखरमाला की आराजियात संख्या 472, 473, 475, कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम कोट की आराजियात संख्या 2703 / 2567, 2705 / 2569, 2708 / 2591 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 हेक्टेयर भूमि मे निहित हिस्से को विपक्षी संख्या एक ने विपक्षी संस्था दो को जरिये रजिस्टर्ड गिप्ट डीड देकर कब्जा सिपुर्द किया है तथा उक्त वर्णित आराजियात मे विपक्षी सं. तीन भंवरलाल ने उसके निहित हिस्से को विपक्षी संख्या दो को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विकय कर कब्जा सपुर्द किया है। जिससे तन्हा रूप से उक्त वर्णित आराजियात की खातेदार विपक्षी संख्या दो रेखादेवी होकर वह काबिज है व उनका उपयोग उपभोग कर काश्त कर रही है। इन भूमियो मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण का कोई लेना देना नही है व न ही उनका कब्जा है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमियों को पुश्तैनी बता कर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु गलत सजरा का अंकन कर वाद पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में जीवित है, उसके जीवित होते हुए उसके वारीसानो का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है और विभाजन कराने का अधिकार नही है। प्रार्थी कई वर्षो से ग्राम तासौल में निवास कर [illegible] वही पर हुआ है। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमियो की जानकारी तक भी नही है। [illegible] ति में प्रार्थी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:14 IST
Reason: SelfAttested

काउन्टर क्लेम

काउन्टर क्लेम के रूप मे निवेदन किया [illegible] विपक्षी संख्या 2 ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित उसकी स्वअर्जित यानि गिप्ट शुदा व कय शुदा कृषि आराजी संख्या 2703 / 2567 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2705 / 2569 रकबा 0.90 है0,

आराजी संख्या 2708/2591 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि एवं ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 472 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 473 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 475 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1.04 भूमि की तन्हा खातेदार है तथा राजस्व रेकार्ड में भूमियां उसी के नाम दर्ज रेकार्ड होकर विपक्षी संख्या 2 ही उस पर काबिज है प्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति का इस भूमियों से कोई लेना देना या वास्ता नही है। प्रार्थी वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश करके कभी भी विपक्षी संख्या 2 की इन भूमियों में विपक्षी संख्या 2 के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में दखलदांजी कर सकता है एवं बाधा उत्पन्न कर सकता है जिससे उसको स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अतः विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम/प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में प्रार्थी के विरूद्व ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात में विपक्षी संख्या 2 के द्वारा की जा रही शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी ने तो स्वयं करे व न अन्य से करावे एवं विपक्षी संख्या 2 को बेदखल करने या नुकसान पहुॅचाने का प्रयास नही करे व न अन्य से करावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र है। प्रार्थी की माता विपक्षी संख्या 1 की शादी शुदा पत्नि के नुत्फे से पैदा हुआ है। हिन्दु संस्कृति के अनुसार विपक्षी 1 की सम्पति में शादीशुदा प्रथम पत्नि को ही वैध माना है और प्रार्थी प्रथम पत्नि का पुत्र होने से 1/2 हिस्सा का हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूलवाद के विपक्षी के विरूद्व रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दुसरी पत्नि की संतान को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नही होकर विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थी सहित 4 पुत्र एवं 6 पुत्रीयां है जिससे प्रार्थी का मात्र 1/11 हिस्सा बनता है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। विपक्षी 1 व 2 खातेदार कृषक है इनके विरूद्व स्थगन नही दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा सोहन की सम्पति में हिस्सा सही नही बताया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है। प्रार्थी के अलावा विपक्षी संख्या 1 के 9 वारीस और है 1/2 हिस्से पर स्थगन जारी करने से अन्य 9 वारीसो को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाकर काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर विचार किया तो मैने यह पाया कि वादवर्णित भूमि वर्तमान में सोहनलाल के नाम संयुक्त खातेदारी हक में दर्ज है। सोहनलाल के 2 पत्नियों के विधिक वारीसान में प्रार्थी सहित 4 पुत्र एवं 6 पुत्रीयां है एवं मूल पुरूष विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के पिता है जिससे विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का 1/11 हिस्सा आता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:14 IST
Reason: SelfAttested

जबकि प्रार्थी द्वारा अपना 1/2 हिस्सा होना अकिंत किया है विपक्षी द्वारा अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम में विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थी के अलावा 3 पुत्र एवं 6 पुत्रीयां होना लिखा गया इस बाबत् प्रार्थी मौन रहते हुए कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। वास्तव में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है या 1/11 हिस्सा यह तो मूलवाद में तय होना है। मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी भी विपक्षी के विरूद्व एवं विपक्षी 1 व 2 भी प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते है ऐसी स्थिति में विवाद को नियन्त्रित करने के लिये विवादित भूमि के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना न्यायोचित समझता हुं।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आशिंक एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आशिंक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 196 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 210 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 196 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 210 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 240 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 261 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 266 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 271 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 290 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 602/233 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 604/237 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 606/288 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या कुल किता 12 कुल रकबा 2.22 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 125 पर स्थित है। राजस्व ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 2703/2567 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2705/2569 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 2708/2591 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 380 पर स्थित है जो विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 472 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 473 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 475 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.04 भूमि राजस्व खाता संख्या 127 पर स्थित है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि को उभयपक्ष किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द नही करे एवं मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा),

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:14 IST
Reason: SelfAttested